न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 804–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–2–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 337/अपील/2009–10.

.....

1–आशाराम पुत्र स्व0श्री तुलसीराम,

2–जावित्रीबाई पत्नि अन्तराम (मृत)

3–हीरालाल पुत्र अंतराम,

निवासीगण राजा मण्डी ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामदुलारी पत्नि विशम्भरदयाल,

निवासी बडागॉव जिला ग्वालियर

2–संजय माझी पुत्र रामसिंह

निवासी राजा मण्डी ग्वालियर

3–श्रीमती ममता रायकवार पुत्री दोलतप्रसाद

निवासी जबलपुर कटनी

4–सीताराम पुत्र स्व0अंतराम

5–प्रहलाद पुत्र स्व0अंतराम

6–मुन्नालाल पुत्र स्व0अंतराम

7–पारवती पुत्र स्व0अंतराम

8–कमलाबाई पुत्री स्व0अंतराम

9–राजावेटी पुत्री स्व0अंतराम

10–हरदेवी पुत्री स्व0अंतराम

11–कोकसिंह पुत्र तुलसीराम

क.4 से 11 निवासीगण राजा मण्डी ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एन.डी.शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 रामदुलारी के द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रानीपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 197, 198, 199, 201 पर अंतराम आदि के द्वारा संहिता की धारा 190–110 के अन्तर्गत भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त करने संबंधी तहसीलदार का आदेश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–1976 के द्वारा अपास्त किया गया है और इस आदेश को राजस्व मण्डल द्वारा यथावत् रखा गया है । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में आवेदक द्वारा कोई कार्यवाही नही करते हुये अपना नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज करा लिया है, को निरस्त किया जाकर अनावेदिका का नाम दर्ज किया जावे । तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 29–2–2000 को अनावेदिका रामदुलारी का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने के आदेश दिये गये । कार्यवाही के दौरान अपर कलेक्टर ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–2001 के तहसील न्यायालय को राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–10–1981 में दिये गये निर्णय के अनुसार अभिलेख में अमल करने एवं प्रकरण का निराकरण एक माह में करने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय द्वारा पुनः कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये प्रकरण कमांक 182/06–07/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 22–9–08 के द्वारा तत्समय रामदुलारी द्वारा सम्पादित और उसके पश्चातवर्ती विक्रय पत्रों के आधार पर केतागण का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने

का आदेश दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी 30–11–09 को अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–2–2013 को अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–1976 द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था किन्तु अनावेदिका कमांक रामदुलारी द्वारा प्रकरण न्यायालय तहसीलदार को गुमराह करते हुये संहिता की धारा 190, 110 के तहत दावां प्रस्तुत किया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29–2–2000 के द्वारा अनावेदिका रामदुलारी का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर नामांकन करने का आदेश पारित किया गया जो पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, तब अनावेदिका कमांक 1 को अथवा उसके द्वारा नियुक्त मुख्त्यार आम को कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा करते हुये विवादित आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 1 रामदुलारी द्वारा रामसिंह को मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया था अथवा नहीं, यह स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हुई है, इस बिन्दु पर विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व अधिकारी को मौरूसी कृषक की हैसियत से भूमिस्वामी घोषित करने की अधिकारिता नहीं है । आवेदक ने किसी भी न्यायालय में कल्लन खॉ द्वारा उसके हक में दिया गया पटटा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही आवेदक का कभी भी आलोच्य भूमि पर कब्जा रहा है । कल्लन खॉ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी द्वारा आलोच्य भूमि को अनावेदिका कमांक 1 रामदुलारी को

विक्रय कर दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–8–1976 के द्वारा आवेदक को यह निर्देश दिये गये हैं कि सर्वप्रथम अंतराम आदि स्वत्व के संबंध में वाद पेश करें पश्चात रामदुलारी प्रतिवाद पेश करें और इस तरह से नये सिरे से सारी कार्यवाही की जाये । आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के पालन में स्वत्व के संबंध में वाद प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश अंतिम हो गया है । आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व निर्धारित नही होने के कारण उसे अपील/निगरानी करने की भी अधिकारिता नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–8–1976 को आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर संहिता की धारा 110–190 के अन्तर्गत भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान करने संबंधी तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है और अपर आयुक्त के आदेश को राजस्व मण्डल द्वारा स्थिर रखा गया है । इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण को आधिपति कृषक नहीं मानने संबंधी बिन्दु वर्ष 1976 में ही निराकृत हो चुका है, अतः उसी बिन्दु पर पुनर्विचार किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । इसी आशय का निष्कर्ष तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाला जाकर आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर